

## प्रेसनोट दिनांक 05.04.2021

1. दिनांक 04.04.21 को वादी श्री साधू शरण पुत्र सरयू नि० छत्ता का पुरवा थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र की मोटर साइकिल में टक्कर मार देना जिसकी गम्भीर चोटे आने के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 158/21 धारा 279, 337, 338, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 04.04.21 को वादी उ०नि० श्री राजेश कुमार मिश्रा थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विश्वनाथ पुत्र राजाराम नि० कोट सराय थाना कैण्ट अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 159/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 04.04.21 को वादी उ०नि० श्री विवेक कुमार सिंह थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जस करन पुत्र परशुराम नि० जरही थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा बिना रायल्टी के चोरी से बालू का परिवहन करना। डम्फर लदा बालू बरामद। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 175/21 धारा 379, 411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 04.04.21 को वादी उ०नि० श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि तिलक राम निषाद पुत्र दयाराम निषाद नि० मोहरमपुर अरती थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 118/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 04.04.21 को वादी आरक्षी कृष्ण कुमार यादव थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अंजनी पाण्डेय पुत्र शिव सहाय नि० मलावन थाना हैदरगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 76/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 04.04.21 को वादी श्री महेश कुमार लेखपाल तहसील मिल्कीपुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गंगाराम पुत्र रामदीन नि० तारडीह तरौली थाना इनायत नगर अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा बंजर भूमि पर मकान बनाकर कब्जा करना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 157/21 धारा 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 04.04.21 को वादी मुख्य आरक्षी नीलेश कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मुमताज पुत्र इस्तियाज नि० चन्दौरा थाना खण्डासा अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 63/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 04.04.21 को वादी उ०नि० श्री वीरेन्द्र कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अख्तर कुरैशी पुत्र अली हसन नि० मोहम्मदपुर थाना खण्डासा अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 64/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 04.04.21 को वादी व०उ०नि० श्री रामचेत यादव थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम तिलक पुत्र राम फेर नि० लखनीपुर थाना मवई अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 86/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 04.04.21 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार यादव थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मधुसूदन उराव पुत्र बाल गोविन्द उराव नि० डौडीह थाना सिसई गुमला, झारखण्ड गिर० अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 87/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।